

26-8-19

बडा

पत्रावली पेश हुई। दिनांक 23-8-19 को कृष्ण
 जन्माष्टमी का आयोजन व्यक्तियों
 से पत्रावली उज्जैन दिनांक को पेश हुई।
 पत्रावली में वादी एवं जोड़ेवादी वाकिल
 उपस्थित हुए। पत्रावली में दोनों वाकिलों
 (पक्षाधी) बहस शुरू हुई। दोनों
 पक्ष सहस्त्रांश पर हैं। विवाद गस्त अधिक
 मौजा बलीचा पहला हलका बलीचा
 - 1 कि. मी.

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

तहसील खरवाड़ा की खेवर (खेतौली)
सं. 28 नई 28 पुरानी में रिजल अंकित
अहकाम है, उसका मूल वाद अस्तमित
द्वारा 53, 1887-88 के तहसीलवाली
में बिचाराया है। प्रार्थना पत्र का
अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों की
बहस पर मगन कर यह आदेश दिया
जाता है कि अग्रणीगण मूल वाद के
निस्तारण तक प्रार्थी एवं अग्रणीगण
वादग्रस्त भूद्वि कि रिजाली प्रभाव
वर्तनी रहे। मूल वाद के निस्तारण तक
जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद
रिजाल जाते हैं। पतापत्ती वर्ष 1901
दोकरा नम्बर से कर व एकेला मुल
वाद पर के साक्ष्य नत्ती है।

उपखण्ड अधिकारी
खरवाड़ा जि उदयपुर